

12.58 hrs

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF
PROFIT

SECOND REPORT

SHRI D BASUMATARI (Kokrajhar) :
I beg to present the Second Report of the
Joint Committee on Office of Profit on the
Draft Parliament (Prevention of Disqualifica-
tion) Amendment Bill, 1971

— — —

DISTURBED AREAS (SPECIAL COURTS)
BILL*

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI
F. H. MOSHIN) On behalf of Shri Ram
Niwas Mirdha, I beg to move for leave to
introduce a Bill to provide for the speedy
trial of certain offences in certain areas and
for matters connected therewith

MR. SPEAKER . The question is

"That leave be granted to introduce a Bill
to provide for the speedy trial of certain
offences in certain areas and for matters
connected therewith"

The motion was adopted

SHRI F. H. MOSHIN I introduce the
Bill.

CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL*

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI
F. H. MOSHIN) On behalf of Shri Ram
Niwas Mirdha, I beg to move for leave to
introduce a Bill further to amend the Indian
Penal Code, the Code of Criminal Procedure,
1898 and the Unlawful Activities (Prevention)
Act, 1967.

MR. SPEAKER . Motion moved

"That leave be granted to introduce a Bill
further to amend the Indian Penal Code,
the Code of Criminal Procedure, 1898 and
the Unlawful Activities (Prevention) Act,
1967."

श्री अटक बिहाररी बाजपेयी (ब्याकियर) .
अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के पेश किये जाने
का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैंने
आप की सुचना दी है, मैं इस समय विधेयक के
ब्योरे में नहीं जा रहा हूँ, इसके गुण और दोषों
की चर्चा नहीं कर रहा हूँ यद्यपि मैं जानता
हूँ कि यह विधेयक बड़ा शरारतपूर्ण है और
यह साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिये
नहीं लाया जा रहा है, यह मुस्लिम संगठनों के
विरोध नहीं है। इसके अन्तर्गत केवल हिन्दू संगठनों
के खिलाफ कार्यवाही की जायगी, इसके विरोध
हम सदन में भी लड़ेंगे और बाहर भी लड़ेंगे।

लेकिन यहाँ मैं दूसरी बात कह रहा हूँ।
एक तरीका बन गया है—आप द्वारा दिये गये
निर्देशों और सदन द्वारा पारित नियमों के खिलाफ
भक्तियों को विधेयक पेश करने की इजाजत देने
का/आप डायरेक्शन्स के नियम 19(ए) को देखें—

"A Minister desiring to move for leave to
introduce a Bill shall give notice in writing
of his intention to do so"

आगे कहा गया है—

"at least seven days "

अर्थात् इसके लिये सात दिन का नोटिस
होना चाहिये।

अब इस विधेयक को मैंने देखा—इस पर
श्री आर० एन० मिर्धा जी के दस्तखत हैं और
दस्तखत के साथ 27 मई की तारीख दी गई है।
स्पष्ट है कि सात दिन का नोटिस पूरा नहीं किया
गया।

अध्यक्ष महोदय . इसे मैंने एलाउ किया है।

श्री अटक बिहाररी बाजपेयी : अगर आप
एलाउ करते जा रहे हैं तो फिर ये नियम बनाये
क्यों गये हैं। यदि आप अपने, अधिकारों का इस
तरह से उपयोग करेंगे तो नियमों की यह पुस्तिका
रही की टोकरी में फँकने लायक हो जायगी।
अभी उस दिन आने में शिश्ता मंत्री जी को विधेयक